झारखण्ड सरकार

पत्रांक : TSC मनरेगा अभिषरण-369/12-805/SWSM राँची, दिनांक : 18-05-2013

प्रेषक,

राम सेवक शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी उपायुक्त –सह–जिला समन्वयक मनरेगा
सह अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
झारखण्ड।

विषय : निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा का अभिषरण (Convergence) के संबंध में।

2011 के जनगणना के मुताबिक, झारखण्ड में 90% से अधिक खुले में शौच का आंकड़ा पाया गया है। यह आंकड़ा देश के अन्य किसी भी राज्य से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण है लोगों में व्यवहार परिवर्तन का नहीं हो पाना। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दौरान इस बात को महसूस किया गया है कि परंपरागत तरीके से चले आ रहे शौच के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाना महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत निर्मल भारत अभियान के संकल्पना के दौरान समुदाय के सामुदायिक रूप से व्यवहार परिवर्तन पर विशेष रूप से अभियान चलाकर इसके विभिन्न अवयवों के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त की जाय।

भारत सरकार के पत्रांक W-11013/5/2012-CRSP दि0 13.06.12 के आलोक में निर्मल भारत अभियान में मनरेगा का अभिषरण (Convergence) का निदेश है। साथ ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पत्रों में अभिषरण करने का निदेश है। इस हेतु निर्मल भारत अभियान के तहत सभी BPL एवं APL के सभी श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि सुधार के लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, महिला प्रधान घर, विकलांग, सीमान्त एवं लघु कृषक, उनके स्वामित्व वाले जमीन अथवा गृह सम्पदा पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। इन लोगों को निर्मल भारत अभियान के तहत Sustainable Toilets देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पंचायतों में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सभी विद्यालयों, सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सभी सामुदायिक भवनों में शौचालय निर्माण एवं पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है।

अतः निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा का अभिषरण हेतु विस्तृत निदेश इस प्रकार निर्गत किया जाता है :–

I. **उद्देश्य :**

a) ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उन्नति एवं ग्रामीण आजीविका में सुधार।
b) ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सम्पति का निर्माण एवं अवस्थापना सुविधा में सुधार।

c) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन को उन्नति प्रदान कर महिलाओं को निजी और शालीन शौच सुविधा देना।

d) MDG (Millennium Development Goal-2015) की प्राप्ति।

e) HDI (Human Development Index) में सुधार।

II. **निर्मल भारत अभियान के तहत मनरेगा के अंतर्गत लिए जा सकने वाले कार्य :**

a) व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण।

b) आंगनबाड़ी एवं स्कूल शौचालय का निर्माण।

c) ठोस एवं तरल पदार्थ प्रबंधन में अल्पव्ययी ड्रेन, कम्पोस्ट पीट, वर्मी कम्पोस्ट, शॉकेज पीट, रिचार्ज पीट, नादेप कम्पोस्टिंग, स्टेबिलाईजेशन पोण्ड का निर्माण एवं ठोस कचरे का संग्रहण, ट्रान्सपोर्टेशन आदि।

III. **व्यक्तिगत शौचालय का प्राक्कलन एवं नक्शा :**

a) शौचालय की विवरणी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय किये गए निर्देशिका के आधार पर तैयार Model प्राक्कलन एवं नक्शा संलग्न है। जगह विशेष पर स्थानीय अंतर करने की आवश्यकता होने पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इसमें परिवर्त्तन किया जा सकेगा।

b) यदि लाभुक चाहे तो वह स्वयं ज्यादा अंशदान कर अपने व्यक्तिगत शौचालय को और बेहतर या बड़ा बना सकता है परन्तु मनरेगा के अंतर्गत अधिकतम राशि (रु0 4500) है।

IV. **लाभुक की योग्यता:**

a) BPL परिवार एवं सभी श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार, भूमि सुधार योजना के लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, महिला प्रधान घर, विकलांग, सीमान्त एवं लघु कृषक के स्वामित्व वाले जमीन अथवा गृह सम्पदा पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।

b) व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तभी संभव है अगर उन लाभुकों को इससे पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत या अन्य किसी योजना के अंतर्गत शौचालय बनाने का लाभ नहीं मिला है[1]।

V. **कार्य निष्पादन की प्रक्रिया :**

a) मनरेगा अभिषरण हेतु सर्वप्रथम ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर पंचायत के माध्यम से जिला को प्रेषित की जायेगी। इसके आधार पर संबंधित मुखिया व्यक्तिगत शौचालयों की सूची तैयार करेंगे जिसे मनरेगा अंतर्गत वार्षिक कार्य की सूची में भी शामिल किया जायेगा।

[1] इसके अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसकी सूची प्रदान की जाएगी कि इससे पहले किस-किस लाभुक को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लाभ मिला चुका है।

b) शौचालयों का निर्माण समुदाय की प्रेरणा एवं नेतृत्व पर आधारित होगा।

c) प्रति लाभुक को अपने शौचालय के निर्माण में हिस्सा लेना अनिवार्य है। मनरेगा के अंतर्गत शौचालय निर्माण के कार्य में मजदूरी करने वाले प्रत्येक मजदूर के पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अगर किसी मजदूर के पास जॉब कार्ड नहीं है तो उसे इसका आवेदन कर बनवा लेना होगा। जॉब कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत सेवक/रोजगार सेवक बनायेंगे।

d) प्रति शौचालय मस्टर रोल कार्यस्थल पर ही बनाया जायेगा एवं ग्राम पंचायत में इसकी कॉपी उपलब्ध होगी। डाटा को पब्लिक के अवलोकन हेतु www.nrega.nic.in में भी डाला जायेगा। मस्टर रॉल प्रखण्ड के बी0पी0ओ0 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

e) मनरेगा के आलोक में लेबर मेट रखा जायेगा।

f) व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु किसी कांट्रेक्टर की मदद नहीं ली जा सकती है।

g) ग्राम पंचायत में कुल रोजगार प्रदान किये जाने का हिसाब अलग से रखा जायेगा।

h) योजनावार शौचालय को मनरेगा के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट माना जायेगा जिसमे :-

   I. एक यूनिक आइडेंटिटी दिया जायेगा

   II. वर्क्स रजिस्टर एवं एसेट रजिस्टर में प्रत्येक कार्य की एंट्री

   III. ग्राम सभा द्वारा कार्यो का सोशल ऑडिट होगा।

   IV. मोनिटरिंग/इवैल्यूएशन निगरानी समिति द्वारा होगी।

   V. प्रति 15-25 शौचालयों के लिए मेट की नियुक्ति होगी।

i) प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालयों, स्कूल शौचालय, आँगनवाड़ी शौचालय की सूची (मनरेगा के अंतर्गत या अन्य योजना से) ग्राम पंचायत उपलब्ध रखेगी।

j) एसेट रजिस्टर में निर्मल भारत अभियान का प्रोत्साहन राशि, मनरेगा की राशि एवं लाभुक का अंशदान अलग-अलग दिखाना होगा।

VI. आयोजना एवं निष्पादन में मनरेगा का अनुपालन :-

a) <u>आयोजना :</u>

- जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रति ग्राम पंचायत सूची बनायी जाएगी। ग्राम सभा द्वारा (व्यक्तिक शौचालयों के इच्छुक लाभुकों की एक संयुक्त सूची) को पारित किया जायेगा और प्रखंड स्तर पर मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर को दिया जायेगा जिसे मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की सूची (Shelf of Scheme) में शामिल किया जायेगा।

b) ***योजना का आकलन :***

I. व्यक्तिगत शौचालय की बनावट पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा दिए गए निदेश पर ही आधारित होंगी। प्रत्येक जिला के कार्यपालक अभियंता राशि के अनुसार एक या उससे अधिक मॉडल को तय करेंगे (प्रति सलग्न) । निर्मल भारत अभियान और मनरेगा के अन्तर्गत उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इस मॉडल पर सहमति दी जाएगी।

II. ग्राम सभा द्वारा पारित इस सूची को एक ही साथ प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जिला के उपायुक्त द्वारा दी जाएगी जो कि मनरेगा के अंतर्गत DPC हैं और जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत अध्यक्ष भी हैं।

c) ***निष्पादन :***

I. योजना का निष्पादन ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी के भुगतान के लिए एवं शौचालय के निर्माण हेतु सामग्री एवं अन्य अनुसांगिक अव्यव उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जाएगी।

d) ***प्रति शौचालय पर मेट की निम्न जिम्मेवारियाँ होगी :-***

i. मस्टर रोल का रख रखाव

ii. मजदूरों की उपस्थिति का हिसाब

iii. शौचालय का निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अनुमोदित व्यक्तिगत शौचालय की बनावट के नमूनों पर ही आधारित हैं, इसका ध्यान रखना।

iv. शौचालय के निर्माण में मेट द्वारा मस्टर रोल बनाया जायेगा एवं शौचालय की नापी भी ली जायेगी। नापी की जांच कनीय अभियंता द्वारा की जायेगी।

e) निर्मल भारत अभियान में मनरेगा के अभिषरण हेतु अधिकतम 20 अकुशल मजदुर और 6 कुशल मजदूर ही इस योजना के अंतर्गत लिया जा सकेगा। भुगतान 1 अप्रैल 2013 से लागु संशोधित मजदूरी दर रु0 138 प्रति अकुशल मजदूर के हिसाब से ही किया जायेगा जब तक कि इस दर में मनरेगा के अंतर्गत पुनः सुधार नहीं हो।

f) व्यक्तिगत शौचालयों का मापी प्रति योजना के हिसाब से दर्ज किया जायेगा।

g) निर्मल भारत अभियान के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि शौचालय बनाने की सामग्री समय समय पर संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता रहे जिससे कार्य के प्रगति में रूकावट नहीं आये। साथ ही इन पंचायतों में जहाँ मनरेगा के साथ अभिषरण किया जा रहा हो, वहां पानी की व्यवस्था पर भी अधिकतम और विशेष ध्यान दिया जायेगा।

h) पंचायत चाहे तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक J-11017/ 41/2011-MGNREGA (pt.) दिनांक 06 मार्च 2013 के आलोक में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वयंसेवी संस्थान (NGO) द्वारा भी मनरेगा अंतर्गत पारिवारिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है बशर्ते मस्टर रोल, मापपुस्त एवं व्यय आदि के संधारण विधिवत सम्पादित हो।

VII. व्यय की प्रणाली :-

मनरेगा के तहत होने वाली व्यय मनरेगा के नियमानुसार कार्य तीन स्तर पर किया जायेगा :-

a) पहले स्तर में गड्ढ़ा खोदना
b) दूसरे स्तर में प्लेटफार्म बनाना एवं Rural pan बैठाना।
c) तीसरे चरण में सुपर स्ट्रक्चर बनाना।

VIII. भुगतान की विधि :-

a) मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिक स्वं सामग्री का अनुपात 60:40 रखा जायेगा।
b) 20 अकुशल मजदूर (मजदूरी) 60% के अन्तर्गत एवं 6 कुशल मजदूर सह मेट (सामग्री) 40% के अन्तर्गत (कुल- Rs. 4500 से अधिक नहीं)
c) IEC का कार्य Block Resource Center द्वारा किया जायेगा।
d) जलसहिया भी IEC का कार्य करेंगी इसके लिए प्रति शौचालय 75/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान VWSC द्वारा किया जायेगा।

प्रति यूनिट व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर सम्पूर्ण खर्च का विवरण :

Detail	Amount
Central share of incentive	Rs. 3200/-
State share of incentive	Rs. 1400/-
Total from NBA	**Rs. 4600/-**
Unskilled wages from MGNREGS	
(subject to maximum 20 days) @ 138.00	Rs. 2760/-
Skilled wages from MGNREGS	
(subject to maximum 6 days) @ 194.00	Rs. 1164/-
Cost of mate from MGNREGS 0.5 @ 157.54	Rs. 78.77/-
(per unit on average not to	
Exceed 4500)	
Total MGNREGS	**Rs. 4002.77/-**
Beneficiary contribution	Rs. 900/-
Total	**Rs. 9502.77/-**

Note:-यह केवल एक उदाहरण मॉडल है। इसके अतिरिक्त अन्य मॉडल भी है, जो कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध है।

IX. राशि का प्रवाह :-

a) मनरेगा के अंशदान का प्रवाह ग्राम पंचायत के खाते से मुखिया एवं पंचायत सेवक के हस्ताक्षर से निस्तार होगा।

b) निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय के निर्माण हेतु सामग्री एवं अनुषांगिक इकाई की राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में दी जोयगी। इसका निष्पादन मुखिया सह अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, उपाध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं जल सहिया में से कोई दो व्यक्ति साथ मिलकर कर सकेंगे।

X. मोनिटरिंग एवं रिपोर्ट :-

a) जिला स्तर पर इस योजना की सफलता के लिए मनरेगा के तहत DPC एवं निर्मल भारत अभियान के तहत प्रकल्प के कार्यपालक अभियंता-सह सदस्य सचिव जिम्मेवार होंगे।

b) यह योजना मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के तहत सोशल ऑडिट तथा ऑडिट का विषय भी होगी।

c) योजना का MIS में ऑनलाइन डाटा एंट्री करना होगा। (मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान दोनो के लिए)

d) शौचालय के निर्माण के उपरांत लाभुक के साथ उसकी तस्वीर खींची जायेगी।

ह0/-
12.05.2013
(राम सेवक शर्मा)
मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार

Memo No SSC मनरेगा/369/12 Dated- 18.5.13

Copy to :
The Additional Chief Secretary, DWSD
The Principal Secretary, RDD
The State Rural Employment Guarantee Commissioner, Rural Development, Jharkhand
The Engineer in Chief, DWSD
All the Project Directors, DRDAs and Additional District Programme Coordinators, NREGS
All the Chief Executive Officers, ZPs and Additional District Programme Coordinators, NREGS.
The Prl. Secretary, Finance Dept., Govt. of Jharkhand,
The Prl. Secretary, PR., Govt. of Jharkhand
The Prl. Secretary, Tribal Welfare Dept., Govt. of Jharkhand.
The Special Officers of NREGS- Jharkhand
All Supt. Eng. / All Exe.Eng., Drinking Water and Sanitation Department, Jharkhand.

//FORWARDED :: BY ORDER//

Chief Engineer cum Executive Director
State Water and Sanitation Mission
Drinking Water and Sanitation Department
Jharkhand